

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बलजीत कौर उर्फ अमरजीत कौर बनाम नरेन्द्र कुमार आदि

अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए नम्बर 103 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/186

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तामिल
हुकम

12.10.2021

वादिया बलजीत कौर उर्फ अमरजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जोशी, विकास खींचड ने वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 53 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 18/11/2021 को पेश हो।

18/11

आज भद्र पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभिप्रात-2021, ग्राम पंचायत 52667 में पेश हुई। वादिया अमरजीत कौर स्वयं उपस्थित आयी व वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 53 RTA नोटिस किया। वादिया को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा वादपत्र नोटिस करने पर वादिया का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विधि नोटिस नम्बर से कम होकर दाखल दफ्तर हो

नोटिस
अमरजीत कौर
18/11/21



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर